



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 30.09.2026

◆ 'ऑपरेशन दहन' के तहत चन्दौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई 11 मुकदमों से संबंधित लगभग 530.810 किग्रा अवैध गांजा/अवैध हेरोइन (0.320 ग्राम) किया गया विनष्टीकरण।

◆ विनष्टीकरण किये गये अवैध माल की कीमत लगभग 02 करोड़ 03 लाख रुपये

चंदौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन दहन” के के तहत माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत कुल 11 मुकदमों से संबंधित बरामद 530.810 किग्रा अवैध गांजा/अवैध हेरोइन को नष्ट किया गया। विनष्टीकरण की यह प्रक्रिया पर्यावरण मानकों का ध्यान रखते हुए थाना मुगलसराय अंतर्गत चौकी औद्योगिक नगर स्थित गणेश प्लाई फैक्ट्री के एंसीलेटर (भट्ठी) में जलाकर पूर्ण की गई।

मौके पर उपस्थित अधिकारीगण-

सतीश चन्द्र शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, कृष्ण मुरारी शर्मा क्षेत्राधिकारी लाइन/सकलडीहा, प्रभारी निरीक्षक डीसीआरबी एवं विधिक कमेटी के सदस्यगण उपस्थित रहे।

 स्वाट/सर्विलांस, साइबर टीम एवं थाना मुगलसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतरराष्ट्रीय साइबर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश;

 05 अभियुक्त गिरफ्तार, 03 अन्य नामजद।

 01 अभियुक्त के 02 बैंक खाते में लगभग 09 लाख रुपये रुपये कराये गये फ्रीज।

 भारी मात्रा में कंप्यूटर, लैपटॉप एवं कूटरचित दस्तावेज बरामद।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन व कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक स्वाट सेल राम जन्म यादव, थानाध्यक्ष मुगलसराय अर्जुन सिंह, प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 आशीष मिश्रा व प्रभारी साइबर सेल मिर्जा रिजवान बेग मय पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि "स्वागत इलेक्ट्रॉनिक शोरूम व आदित्य विजन इलेक्ट्रॉनिक की बिल्डिंग के बगल में स्थित बिल्डिंग (जिसमें बेबी फर्स्ट क्राई का शोरूम है और जो थाना मुगलसराय के कैलाशपुरी में स्थित है) की तीसरी मंजिल पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति साइबर कॉल सेंटर चला रहे हैं, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं।

मुखबिर की सूचना के आधार पर मौजूदा पुलिस टीम द्वारा बिल्डिंग में पहुँचकर वीडियोग्राफी करते हुए दरवाजा खुलवाकर प्रवेश किया गया।

वीडियोग्राफी के माध्यम से पूछताछ करते हुए मौके पर मौजूद सभी कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा गया तो लाइव कॉल चल रही थी, जिसमें विदेशी भाषा में आवाज सुनाई पड़ रही थी।

मौजूदा पुलिस टीम को जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त गिरोह द्वारा साइबर फ्राड की घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो तत्काल रौनक सिंह (उम्र 32 वर्ष), पुत्र इंद्रमोहन सिंह, निवासी सैदपुर, थाना बेन, जनपद नालंदा, बिहार के 02 खाते में लगभग 9.00 लाख रुपये को तत्काल फ्रीज कराया गया। घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की जा रही है प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्थानीय पुलिस टीम

द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त इलेक्ट्रानिक व भौतिक साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है प्रकाश में आये तथ्यों के आधार अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का पूछताछ विवरण व अपराध करने का तरीका-

पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे जापानी भाषा नालंदा व गया में सीखे थे। वे ZOIPER5 ऐप के माध्यम से जापान के नागरिकों के सिस्टम/कंप्यूटर में आई समस्याओं के बहाने रिमोट एक्सेस प्राप्त करते थे। इसके लिए वे जापान की वेबसाइट (www.oty.com) - LogMeIn Rescue Console) खोलकर 6-डिजिट का पिन दर्ज करने को कहते थे।

पिन डालते ही स्क्रीन का रिमोट एक्सेस मिल जाता था, जिसके बाद वे पीड़ित के बैंकिंग ऐप को एक्सेस करके धनराशि धोखे से प्राप्त कर लेते थे। प्राप्त बैंकिंग विवरण को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स (जैसे DATES व अन्य वर्चुअल नंबरों वाले ग्रुप) में अन्य साथियों के साथ साझा किया जाता था। चाइनीज मेंबर्स म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे, जिनमें पैसा ट्रांसफर किया जाता था।

इस पूरे गैंग का मुख्य सरगना एक अन्य साथी है, जो पुलिस के आने से कुछ देर पहले ही निकल गया था। हवाला के जरिए जापानी करेंसी को भारतीय रुपयों में बदलकर वही कॉल सेंटर चलाता था। अभियुक्तों ने पहचान छिपाने के लिए बनारस के पते पर कूट-रचित आधार कार्ड बनवाए थे।

घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि गिरोह का मुख्य निशाना-

- जापान के बुजुर्ग नागरिक थे ऐसे लोग जो तकनीक से कम परिचित हैं, लेकिन जिनके बैंक खातों में जीवन भर की जमा-पूंजी है।
- ठग किसी साधारण सिम से नहीं, बल्कि विदेशी सर्वर पर चलने वाले इंटरनेट कॉलिंग सॉफ्टवेयर (VoIP) से काम करते थे। इससे न उनकी असली लोकेशन पता चलती थी, न भारत का नंबर दिखता था। इस सॉफ्टवेयर पर जापान (+81) का नम्बर दिखाता था और लगभग हर तीन-चार मिनट में एक नया शिकार बनाते थे।

■ फ़ोन पर ठग खुद को कंप्यूटर या बैंक का 'टेक्निकल सपोर्ट' कर्मचारी बताते थे। भरोसा जमाने के लिए वे विदेशी नाम इस्तेमाल करते थे और पीड़ित के कंप्यूटर पर इसी नाम का एक नकली फ़ोटो-पहचान पत्र तक खोलकर दिखाते थे।

■ रिमोट एक्सेस के जरिए पीड़ित को एक 'सपोर्ट' वेबसाइट खोलकर रिमोट एक्सेस सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करने को कहा जाता था। रिमोट की एक्सेस लेने पर साइबर ठग की अपने स्क्रीन पर क्या खुलेगा, क्या बंद होगा, सब साइबर ठग तय करता था, जबकि पीड़ित को लगता था कि उसकी 'मदद' हो रही है।

■ साइबर ठग 'वेरिफ़िकेशन' के नाम पर पीड़ितों का वेबकैम चालू करवाकर उन्हें कैमरे के सामने बैठाते थे। बरामद तस्वीरों में कई बुजुर्ग कैमरे में झांकते दिख रहे हैं, तो कई अपने मोबाइल की स्क्रीन कैमरे की ओर घुमाए हुए हैं। यानी पीड़ित के चेहरे से लेकर उसके घर के कमरे तक, सब कुछ ठगों की नज़र में।

■ रिमोट कनेक्शन चालू रहते हुए पीड़ितों से उनकी इंटरनेट बैंकिंग और बैंकिंग ऐप में लॉग-इन करवाया जाता था। कुछ खातों में लाखों येन जमा रहते थे।

कॉल सेंटर का संचालक और उसके कई अन्य साथियों की थाना स्थानीय पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है जल्दी ही गिरफ्तारी की जायेगी।

ठगी की कुल रकम, पैसा किन खातों में गया और विदेशी कॉलिंग व रिमोट एक्सेस अकाउंट किसने उपलब्ध कराए — इन सभी पहलुओं की गहनता से जांच जारी है। जांच आगे बढ़ने के साथ पीड़ितों की संख्या और ठगी की रकम में बड़ा इजाफ़ा हो सकता है।

(उपरोक्त तथ्य बरामद उपकरणों की प्रारंभिक जांच पर आधारित हैं; फ़ॉरेंसिक जांच के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी।)

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 510/2026 धारा 3(5), 61(2), 318(4), 319(2), 336(3), 337, 338, 339, 340(2), 341(1) बीएनएस व धारा 66C एवं 66D आईटी एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

(गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।)

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1-रौनक सिंह (उम्र 32 वर्ष) पुत्र इन्द्रमोहन सिंह, निवासी ग्राम सैदपुर, थाना बेन, जनपद नालंदा (बिहार) (कॉल सेंटर का मैनेजर)
- 2-रोशन कुमार (उम्र 21 वर्ष) पुत्र बिनोद कुमार सिंह, निवासी नया बाईपास, थाना विष्णुपथ, जनपद गया (बिहार)
- 3-अमन कुमार (उम्र 23 वर्ष) पुत्र उमेश कुमार, निवासी मंगला बोरिंग, थाना विष्णुपथ, जनपद गया (बिहार)
- 4-अंकित कुमार (उम्र 25 वर्ष) पुत्र राजेश कुमार, निवासी नीमडीह, थाना रूपौ, जनपद नवादा (बिहार)
- 5-विकास वैभव (उम्र 25 वर्ष) पुत्र नवबिन्द कुमार वर्मा, निवासी वारिस नगर रामशिला, थाना कोतवाली, जनपद गया (बिहार)

बरामदगी का विवरण:

- कंप्यूटर सेट: 19 मॉनिटर (फॉक्सन), 20 सीपीयू (फॉक्सन), 19 की-बोर्ड, 18 माउस, 18 हेडफोन
- लैपटॉप: 03 (01 एचपी सिल्वर, 02 डेल ब्लैक)
- मोबाइल फोन: 06 (आईफोन 17, वनप्लस, रेडमी, आईक्यू आदि)
- नेटवर्किंग उपकरण: 03 वाई-फाई राउटर (जिओ व एअरटेल), 01 टीपी-लिंक राउटर, 01 डी-लिंक 8-चैनल स्विच हब
- कूटरचित दस्तावेज: 05 फर्जी/कूटरचित आधार कार्ड (वाराणसी के पते पर निर्मित)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- अर्जुन सिंह, थानाध्यक्ष, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली
- उ0नि0 मिर्जा रिजवान बेग, प्रभारी साइबर सेल, जनपद चन्दौली
- उ0नि0 अभिषेक शुक्ला, साइबर थाना, जनपद चन्दौली
- उ0नि0 सुरेश चन्द्र पाण्डेय, चौकी प्रभारी चन्दासी, थाना मुगलसराय
- उ0नि0 सतीश प्रकाश, चौकी प्रभारी कस्बा, थाना मुगलसराय

साइबर कमाण्डो मनीष सिंह, साइबर सेल जोन कार्यालय वाराणसी।

हे०का० यशवन्त चौधरी, हे०का० प्रकाश सिंह, हे०का० संतोष कुमार सिंह, का० अभय प्रताप सिंह, का० सौरभ यादव, का० नीरज वर्मा, का० अंजनी पाण्डेय, का० अमित कुमार, का० पवन यादव, का० संतोष यादव, का० मंटू सिंह।

स्वाट/सर्विलांस

नि० राम जन्म यादव

उ०नि० आशीष मिश्रा

हे०का० राणा प्रताप सिंह, हे०का० सतीश पटेल, हे०का० रामानंद यादव, हे०का० अरविंद भारद्वाज

हे०का० दीपक मिश्रा, का० अमित सिंह, का० महेश यादव